पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-222
दिनांक- 05.02.2026

जोन पूर्वी / थाना चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद मो0सा0 व 01 अदद मोबाईल बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 29.10.2025 को वादी मुकदमा हंसराज पुत्र लालाराम निवासी डिगडिगा अपट्रान थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत में खड़ी मोटर साइकिल उसमें रखा मो0 चोरी कर लेने विषयक मु0अ0स0-616/2022 धारा- 303(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 दिलीप कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना का सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में तत्काल प्रभाव से टीमों का गठन किया गया । गठित टीम द्वारा घटना के आस पास लगे सीसीटीवी फुटैज का अवलोकन किया गया। जिसमें गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को घटना में संलिप्त/घटना को कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र स्व0नाथु राम निवासी भुजावनपूरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष को इमलिबाथम मंदिर के पास दयाल फार्म जाने वाली रोड़ थाना चिनहट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद मोबाईल चोरी व नगद 110/-रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरणः-

साहब मेरे द्वारा कुछ दिन पहले रात मे डिगडिगा गाव से इस मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी, जिसकी डिग्गी मे ही ये मोबाईल भी रखा हुआ था । जिसको मै बेचने के लिए आज यहाँ ग्राहक खोज रहा था की आप लोगों ने पकड़ लिया

03-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01.मु0अ0सं0-616/2025 धारा- 303(2) बीएनएस व **बढ़ोत्तरी धारा 317(2)** थाना चिनहट जनपद लखनऊ

अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-222
दिनांक- 05.02.2026

जोन पूर्वी / थाना चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद मो0सा0 व 01 अदद मोबाईल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 29.10.2025 को वादी मुकदमा हंसराज पुत्र लालाराम निवासी डिगडिगा अपट्रान थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत में खड़ी मोटर साइकिल उसमें रखा मो0 चोरी कर लेने विषयक मु0अ0स0-616/2022 धारा- 303(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 दिलीप कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना का सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में तत्काल प्रभाव से टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना के आस पास लगे सीसीटीवी फुटैज का अवलोकन किया गया। जिसमें गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को घटना में संलिप्त/घटना को कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र स्व0नाथु राम निवासी भुजावनपूरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष को इमलिबाथम मंदिर के पास दयाल फार्म जाने वाली रोड़ थाना चिनहट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद मोबाईल चोरी व नगद 110/-रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरणः-

साहब मेरे द्वारा कुछ दिन पहले रात मे डिगडिगा गाव से इस मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी, जिसकी डिग्गी मे ही ये मोबाईल भी रखा हुआ था। जिसको मै बेचने के लिए आज यहाँ ग्राहक खोज रहा था की आप लोगों ने पकड़ लिया

03-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01.मु0अ0सं0-616/2025 धारा- 303(2) बीएनएस व **बढ़ोत्तरी धारा 317(2)** थाना चिनहट जनपद लखनऊ

अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-222
दिनांक- 05.02.2026

जोन पूर्वी / थाना चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद मो0सा0 व 01 अदद मोबाईल बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 29.10.2025 को वादी मुकदमा हंसराज पुत्र लालाराम निवासी डिगडिगा अपट्रान थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत में खड़ी मोटर साइकिल उसमें रखा मो0 चोरी कर लेने विषयक मु0अ0स0-616/2022 धारा- 303(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 दिलीप कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना का सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में तत्काल प्रभाव से टीमों का गठन किया गया । गठित टीम द्वारा घटना के आस पास लगे सीसीटीवी फुटैज का अवलोकन किया गया। जिसमें गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को घटना में संलिप्त/घटना को कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र स्व0नाथु राम निवासी भुजावनपूरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष को इमलिबाथम मंदिर के पास दयाल फार्म जाने वाली रोड़ थाना चिनहट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद मोबाईल चोरी व नगद 110/-रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरणः-

साहब मेरे द्वारा कुछ दिन पहले रात मे डिगडिगा गाव से इस मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी, जिसकी डिग्गी मे ही ये मोबाईल भी रखा हुआ था । जिसको मै बेचने के लिए आज यहाँ ग्राहक खोज रहा था की आप लोगों ने पकड़ लिया

03-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01.मु0अ0सं0-616/2025 धारा- 303(2) बीएनएस व **बढ़ोत्तरी धारा 317(2)** थाना चिनहट जनपद लखनऊ

अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अखिलेश कुमार पुत्र स्व0 नाथु राम निवासी भुजावनपूरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष

05-बरामदगी-

- 01 अदद स्पेलन्डर मोटर साइकिल UP32QS6589 रंग ग्रे
- एक अदद मोबाईल SAMSUNG कंपनी का नीले रंग का
- नगद 110 रू,

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री धनंजय कुमार सिंह थाना चिनहट लखनऊ
2. उ0नि0 दिलीप कुमार थाना चिनहट लखनऊ
3. हे0का0 बृजेश कुमार थाना चिनहट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-218
दिनांक-05.02.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा रंगदारी वसूलने के लिए बमबारी करने वाले इनामिया बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.01.2026 को कोतवाली दुबग्गा के ग्राम सिकरौरी मे स्थित एस0आर0 ट्रेडर्स बिल्डिंग पर समय करीब शाम के 05.30 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बमबाजी की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा श्री अंकित कुमार सिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम ठखवा थाना मलिहाबाद लखनऊ की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 24/2026 धारा 109(1)/288/324(4)/351(4) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 26.01.2026 को कोतवाली दुबग्गा टीम व लखनऊ की अपराध शाखा (स्वॉट / सर्विलान्स) टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों- 1. इन्द्रेश कुमार सिंह उम्र करीब 32 वर्ष 2. ज्ञानेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष 3. राज उर्फ राजा पुत्र लल्लन उम्र करीब 19 वर्ष 4. मोनू पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 19 वर्ष 5. अंकित कुमार पुत्र अशर्फी उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा **उक्त बाल अपचारी मौके से भाग गया था। शेष उक्त वांछित अपचारी की निगरानी हेतु 25,000/-रूपये का इनाम घोषित किया गया।**

जिस पर दुबग्गा पुलिस व क्राइम टीम पश्चिमी द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को नियमानुसार पावर हाउस के पीछे दुबग्गा लखनऊ से संरक्षण में लिया गया।

02- बाल अपचारी-

1. उम्र करीब 17 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 0024/2026 धारा 109(1)/324(4)/351(4)/326(G)/317(2)/308(5)/3(5) भा0न्या0सं0 कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0021/2026 धारा 309(4) बीएनएस कोतवाली मलिहाबाद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 304(2) बीएनएस कोतवाली काकोरी लखनऊ

05-संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम-

कोतवाली दुबग्गा लखनऊ	क्राइम टीम पश्चिमी
1. व0उ0नि0 राकेश कुमार पटेल	**1.** उ0नि0 अंकित बलियान
2. हे0का0 सुभान खान	2. हे0का0 गोविन्द
3. का0 विनोद कुमार	3. का0 योगेश

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-223
दिनांक- 05.02.2026

जोन-पूर्वी / थाना गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर स्नैचर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **02 अदद पर्स, 04 अदद मोबाइल फोन, नगद 3700/-रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.02.2026 को वादी मुकदमा आशीष कुमार सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह निवासी 1410/06 मीना मार्केट ब्लाक ए इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 022/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम बनाम 1.आर वन- 5 मो0साईकिल सवार 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध बावत विपक्षीगण द्वारा वादी की पत्नी की हाथ से पर्स छीन लेना जिससे वादी की पत्नी के हाथ में चोट आ जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह को सुपुर्द हुयी।

बाद विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. शिवा प्रताप सिंह पुत्र सत्य कुमार सिंह उम्र 23 वर्ष 2. मुकुल लोधी पुत्र छोटेलाल उम्र 25 वर्ष 3. गौरव शर्मा पुत्र अजय कुमार शर्मा उम्र 22 वर्ष को शहीद पथ से शालीमार को जाने वाली सडक से कुछ दूर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से लूट किये गये समस्त माल की बरामदगी करते हुए **मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भादवि की बढोत्तरी की गयी।**

अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. शिवा प्रताप सिंह पुत्र सत्य कुमार सिंह निवासी बजरंग विहार कालोनी अतरौली थाना गुडम्बा लखनऊ वर्तमान पता 197 /6 निकट रामा हास्पिटल जानकी पुरम थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 23 वर्ष
2. मुकुल लोधी पुत्र छोटेलाल निवासी 143 अटल नगर साकेत स्कूल के पास थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष
3. गौरव शर्मा पुत्र अजय कुमार शर्मा निवासी बहादुर पुर यूनिटी सिटी कल्यानपुर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 22 वर्ष

03-बरामदगी का विवरण-

- 04 अदद मोबाइल फोन,
- 02 अदद पर्स हल्का गुलाबी व लाल रंग का
- जामातलाशी से प्राप्त 02 अदद मोबाईल फोन
- अभियुक्तगण के कब्जे से कुल लूटे हुए 3700/- रुपये
- घटना में प्रयोग की एक अदद मो0सा0 आर वन 05 यमहा नं0 MH03EQ8754

04-अनावरित अभियोग का विवरण :-

1. मु0अ0स0 22/2026 धारा 309(6) /317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास अभि0 शिवा प्रताप सिंह-

1. मु0अ0सं0 1191/2016 धारा 366 भादवि थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 294/2022 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 316/2022 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0 486/2022 धारा 392 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ ।
5. मु0अ0सं0 430/2023 धारा 392/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0 27/2024 धारा 392/411 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।
7. मु0अ0सं0 36/2024 धारा 392/411 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।
8. मु0अ0सं0 469/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।
9. मु0अ0सं0 521/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।
10. मु0अ0सं0 374/2021 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ ।
11. मु0अ0सं0 455/2022 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ ।
12. मु0अ0सं0 324/2022 धारा 392/411/414 भादवि थाना महानगर जनपद लखनऊ ।
13. मु0अ0सं0 90/2023 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ ।
14. मु0अ0सं0 701/2021 धारा 392/411 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ ।
15. मु0अ0सं0 137/2022 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ ।

06-आपराधिक इतिहास अभि0 मुकुल लोधी-

1. मु0अ0सं0 349/2017 धारा 392/411 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 414/2017 धारा 392/411 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 324/2017 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 434/2017 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 433/2017 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 304/2017 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ
7. मु0अ0सं0 157/2017 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ

07-आपराधिक इतिहास अभि0 गौरव शर्मा-

1. मु0अ0सं0 455/2022 धारा 392/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 90/2023 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 153/2024 धारा 392/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ ।
2. उ0नि0 श्री हेमंत कश्यप थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ ।
3. उ0नि0 श्री अनमोल कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ ।
4. मुख्य आरक्षी रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ ।
5. आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना गोमती नगर विस्तार, जनपद लखनऊ।
6. आरक्षी सौरव राठी थाना गोमती नगर विस्तार, जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 221
दिनांक- 05.02.2026

जोन- मध्य / थाना हजरतगंज

- **थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा गांजा बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **1152 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.02.2026 को थाना हजरतगंज क्षेत्र में स्थित संकल्प वाटिका के पास गांजा बेचने वाले 02 व्यक्तियों के बारे में जरिए जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई जिस पर उ0नि0 मधुकर सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच कर गांजा बेचने वाले 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 1,152 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

फर्द गिरफ्तारी के आधार पर दिनांक 04.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट बनाम मोहम्मद इरशाद पुत्र स्व0 मुमताज अहमद निवासी 4/84 संजय गाँधी नगर ,प्राग नारायण रोड थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ उम्र-31वर्ष तथा हिमाशु शर्मा पुत्र नीरज कुमार निवासी 532ए/273 चौधरी टोला ,डंडहिया बाजार थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र-23 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अनिल भगत द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इधर-उधर घूम कर गांजा बेचने का धंधा करता है। पार्क में बैठ कर गांजे की और पुडिया बना रहा था। जहां पर पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया।

अपराध का उद्देश्य

पैसो के लिए अवैध रूप से गांजा बेचना ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहम्मद इरशाद पुत्र स्व0मुमताज अहमद निवासी 4/84 संजय गाँधी नगर, प्राग नारायण रोड थाना हजरतगंज लखनऊ उम्र-31वर्ष
2. हिमाशु शर्मा पुत्र नीरज कुमार निवासी 532ए/273 चौधरी टोला, डंडहिया बाजार थाना अलीगंज लखनऊ उम्र-23 वर्ष

बरामदगी-

- 1,115 ग्राम अवैध गांजा

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1.मु0अ0सं0 22/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना हजरतगंज पुलिस कमि0 लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 मधुकर सिंह प्रभारी सुल्तानगंज थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 राहुल पाल थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 अनुराग त्रिवेदी हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-219
दिनांक- 05.02.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा श्रीमान स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीड्ब्लू वाद सं 340/18 अ0सं0 323/17 धारा 323/504/506 भादवि व एससी/एसटी एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0सिध्देश्वर सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी म0सं0 268/201 मास्टर कन्हैया लाल रोड ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ को दिनांक 04.02.2025 को समय 22.00 बजे अभियुक्त बृजेश कुमार सिंह के निवास म0सं0 268/201 मास्टर कन्हैया लाल रोड ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ से थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी को मौके पर दी गयी, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का विवरण-

1. बृजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0सिध्देश्वर सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी म0सं0 268/201 मास्टर कन्हैया लाल रोड ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ

03-पंजीकृत/ वाद अभियोग का विवरण:-

1. वाद सं 340/18 अ0सं0 323/17 धारा 323/504/506 भादवि व एससी/एसटी एक्ट थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रजत सिंह थाना वजीरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री शिवम मौर्या थाना वजीरगंज लखनऊ
4. का0 प्रदीप पाल थाना वजीरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-220

दिनांक- 05.02.2026

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा CEIR Portal से VIVO A3X फोन बरामद कर शिकायत कर्ता को सुपुर्द किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.01.2026 को थाना स्थानीय पर आगंतुक मनीष थारू पुत्र रतिपाल निवासी आकांक्षा परिसर सेक्टर एफ थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि मेरा फोन **VIVO A3X** कही गिर गया है तत्काल उपरोक्त शिकायत पर यूपी कॉप के लास्ट आर्टिकल पर शिकायत दर्ज कर CEIR PORTAL पर ट्रेकिंग पर लगाया गया।

दिनांक 05.02.2026 को सीईआईआऱ के माध्य से उपरोक्त फोन को बरामद कर शिकायतकर्ता मनीष थारू पुत्र रतिपाल उपरोक्त को सुपुर्द किया गया फोन पाकर शिकायत कर्ता ने लखनऊ पुलिस का बहुत- बहुत धन्यवाद दिया गया।

02- पुलिस टीम थाना जानकीपुरम-

1. का0 पंकज यादव
2. का0 कृष्ण कुमार वर्मा